

## —पत्रोत्तर

### प्रश्न—(1) श्री ठाकुरदास जी बंग, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र।

मेरे सपनों का भारत शीर्षक ज्ञानतत्व पूरा पढ़ा। पृष्ठ सात (च) में “सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं होगी” इससे कौन खासकर सर्वोदयी इन्कार करेगा? लेकिन दूसरे ही वाक्य में आपने लिखा है “हिन्दू समाज की आदर्श मान्यताएँ समाज में प्रभावी होंगे” हिन्दू समाज में कुछ आदर्श मान्यताएँ हैं और कुछ बुरी रुद्धियां हैं। ऊँच—नीच भाव, जैसे अस्पृश्यता, स्त्री—पूरुष विषमता हिन्दूओं में है, वैसे ही तीन बार तलाक कहने से तलाक आदि बाते मुसलमानों में हैं। हिन्दूओं की कई मान्यताएँ वादातीत हैं वैसे ही मुस्लिम समाज की भी कई बाते उस जमाने में ठीक रही हो, जो आज काल बाह्य हो गई है। कई वचन परस्पर विरुद्ध हैं। अतः सब धर्मों की अच्छी बाते अवश्य ली जाय। बुरी बाते किसी की भी हो छोड़ी जाय। भारत में या विश्व में कही भी शान्ति पूर्वक सहजीवन बिताना हो तो मिसमेयों की भारत के बारे में गलत बातों को उछालने से कार्य नहीं चलेगा। न चलाना चाहिए। गांधी जी ने मिसमेयों की रिपोर्ट को एक गटर इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट की संज्ञा दी थी यह तो आप जानते ही होंगे। पुराने मुल शास्त्रों में अस्पृश्यता, स्त्री पूरुष विषमता आदि, मुद्दों का कोई उल्लेख ही नहीं है। कई परस्पर को काटने वाले वचन भी हैं। जैसे मनु ने अनेक जगह स्त्रियों के बारे में क्या उल्लेख किया है यह प्रसिद्ध है। उसी मनु ने “यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता” यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा स्त्राः फलाः क्रियाः। अर्थात् जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ सत्यता रमण होते हैं और जहाँ उनकी पूजा नहीं होती है वहाँ सब क्रियाएँ निकल जाती हैं। और यह भी लिखा है (स्त्रीत्र शुद्रत्र द्विजत्र बधूनामत्र त्रयी न श्रृति गोचरा) स्त्री, शुद्र और उन जैसों को तीन वेद सुनने नहीं चाहिए। ऐसे परस्पर विरोधी वचन शास्त्रों में भरपूर मिलेंगे (इनकी परस्पर संगति कैसे बिठाई जाय? अतः गांधी ने स्त्री पुरुष विषमता अस्पृश्यता आदि को शास्त्र वचन नहीं माना। बल्कि मूल धर्म में ये बातें ही नहीं यह कहकर उन्हे अस्वीकार करा दिया। यह भी कहा कि अपनी विवेक बुद्धि को न जावें न ही तो वह नहीं माना जाय। मनु ने भी धर्म के चार लक्षण गिनाये।) श्रुति, स्मृति, सदाचार, स्वस्यच प्रियमात्मन, (यानी अपने आत्मा को प्रिय लगें वही धर्म माना जाये यह कहा।) अतः अन्तिम कसौटी आत्मा को प्रिय लगे यही बताई। अतः अपना विवेक यही कसौटी है। हजार बार श्रुति कहे कि अग्नि शीतल है तो भी यह नहीं माना जाय यह भी शास्त्र वचन शंकराचार्य सरीखे ज्ञानी ने कहा है अतः आपके सपने के भारत में हिन्दू शब्द कहने के बजाये भारतीयता की कसौटी आप कहो ‘हिन्दू’ न कहे तो क्या बिगड़ेगा, आपको ठीक लगे तो भी आप कहो हिन्दू न कहे तो आपका क्या बिगड़ेगा? व्यक्तिगत रुचि हो तो भी भिन्न व्यापक दृष्टिकोण आप अपनाये अकारण अन्यों को न चिढ़ावे तो कूछ बिगड़ेगा? एक में उच्च भावना या हीन भावना जागृत न करे तो क्या आपत्ति है? आपकी व्यक्ति गत मान्यता हो सकती है, भले ही रहे, लेकिन सर्वजन प्रियवाणी बोलने में क्या हर्ज?

दूसरा मुद्दा अर्थशास्त्र का है। कर प्रणाली में सबकी संपत्ति अधिकतम वार्षिक, 2. प्रतिशत की कर की बात आपने लिखी है। लेकिन एक मर्यादा के नीचे की आयवालों को कर मुक्त रखना और एक मर्यादा से अधिक की आय को अधिक प्रतिशत कराधीन बनाने में क्या बुरा होगा? इससे भ्रष्टाचार होगा, लोक सत्य छिपा लें। आदि होगा इसे तथ्यहीन नहीं कहा जा सकता। लेकिन सही निर्णय क्यों न लेवे? अन्यथा कर प्रणाली में जो जितना सके उतना कर लगाया जाय इस अर्थशास्त्रीय व्यवहार्थ उचित सिद्धान्त को जोड़ना होगा। इन दोनों सिद्धान्तों का समन्वय कैसे किया जाय? आप कृपया पूनर्विचार करें। सब अनूदान, सब कर समाप्त कर रहे और अमीर को भी 400 रु प्रतिमास प्रति व्यक्ति पैसा दिया जाय इसका क्या प्रयोजन पुनर्विचार आप करेंगे ही।

**समीक्षा:**—आपने दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। इन दोनों मुद्दों पर कोई निष्कर्ष निकालने के पूर्व व्यापक विचार मंथन की आवश्यकता मैं भी महसूस करता हूँ और यदि इन मुद्दों पर कोई संशोधित आम सहमति बनती है तो मूझे कोई आपत्ति नहीं है।

हिन्दू समाज व्यवस्था में कई विकृतियाँ घर कर गई। यह बात बिल्कुल ठीक है। इसलिये मैंने हिन्दू समाज की आदर्श मान्यताएँ शब्द लिखा। इस वाक्य का आदर्श शब्द भी बहुत महत्व रखता है और समाज शब्द भी। हिन्दू धर्म की आदर्श मान्यताएँ शब्द मैंने न लिखकर समाज शब्द लिखा।

है। समाज की मान्यताएँ और व्यवस्थाएँ परिवर्तनशील होती है किन्तु धर्म की नहीं। विशेषकर उस समय, जब धर्म गुण प्रधानता से हटकर कर्मकांड प्रधान हो जावे। हिन्दु समाज की आदर्श अवधारणा में पूरी तरह धर्म निरपेक्षता रही है। उसमें धर्म परिवर्तन के प्रयासों पर रोक लगाई गई है। नास्तिक को भी समाज में वही अधिकार प्राप्त है जो आस्तिक को। समाज व्यवस्था की पहली इकाई परिवार और दूसरी गांव मानी गई है। धर्म के आधार पर बनने वाले नये नये संगठनों को कहीं रोक नहीं है। शासन और अनुशासन में भेद किया गया है। समाज अनुशासन के निमित्त सीमित दण्ड ही दे सकता है। सीमा से बाहर का दण्ड पंचायते नहीं दे सकती। ऐसे दण्ड शासन ही दे सकता है। शासन में धर्म का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। समाज किसी देश या क्षेत्र में बंधा नहीं हो सकता। समाज तो सम्पूर्ण विश्व के सभी मानवों का एक होता है चाहे वह किसी धर्म को क्यों न मानें।

क्या किसी अन्य धर्म के लोग भी ऐसी पृथक समाज व्यवस्था को स्वीकारते हैं? यदि हाँ तो हिन्दू शब्द को निकालकर सभी समाज किया जा सकता है और यदि नहीं तो यह शब्द आपत्ति जनक नहीं होना चाहिये। इस्लाम और संघ एक ही समान विचार धारा और समाज व्यवस्था के पक्षधार हैं। दोनों ही समाज से बड़ा धर्म मानते हैं और धर्म के भी गुणात्मक स्वरूप के स्थान पर पहचानात्मक स्वरूप को। प्राचीन समय में भिन्न-भिन्न शताब्दियों में नारी को किन विपरीत संदर्भों में माना गया वह हमारा आदर्श नहीं है। हमारा आदर्श यह है कि आज नारी को समाज में क्या अधिकार प्राप्त हों। मैं मानता हूँ कि नई सामाजिक व्यवस्था में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति, उत्पादक, उपभोक्ता जैसे आठ वर्ग विद्वेषकारी विचारों का कोई स्थान न होकर प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान अधिकार दे दिया जाय। नारी को या गरीब को कोई विशेष अधिकार चाहिये तो वह विशेष अधिकार संविधान या राज्य नहीं दे सकता। समाज की पहली इकाई परिवार, दूसरी गांव, और इसके उपर जिला, प्रदेश, राष्ट्र, और विश्व तक की हो सकती हैं। ये विभिन्न इकाइयाँ चाहें तो विशेष अधिकार दे सकती हैं। ग्राम सभा के निर्णय सबकी सहमति से होना चाहिये। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मुसलमान और संघ ऐसी समाज व्यवस्था को मानने के लिये तैयार हैं? यदि नहीं है तो ऐसे कट्टरपंथियों की आलोचना से डरने की बजाय उत्तर देना अधिक अच्छा होगा। हिन्दू शब्द की जगह भारतीय शब्द पर भी मैंने बहुत सोचा था। किन्तु समाज व्यवस्था सिर्फ भारत तक सीमित न होकर विश्व तक ही होने से मैंने भारतीय के स्थान पर हिन्दू शब्द का उपयोग किया। हिन्दू की जगह भारतीय या कोई अन्य शब्द बदलना उपयुक्त समझा जाय तो मैं आपत्ति नहीं करूँगा। किन्तु मुझे इस बात पर गंभीर आपत्ति है कि समाज को हिन्दू और मुसलमान नाम से धर्मों में बांटकर उस पर किसी का समर्थन और किसी का विरोध किया जाय। समाज को दो भागों (1) कट्टरवादी, (2) शान्तिप्रिय में बांटकर कट्टरवाद का खुला विरोध करिये। हमें संघ और ईस्लाम तक सीमित न रहकर एक तीसरा मोर्चा बनाना चाहिये जो सर्व धर्म सम्भाव, वसुधैव कुटुम्बकम् के आधार बनाकर मजबूती से खड़ा हो सके।

आपने गरीबों को टैक्स से राहत और अमीरों को छूट न देने की सलाह दी है। यह बात न्याय संगत है भी। मैंने इस पर खूब विचार किया। हम विचार करते समय न्याय और व्यवस्था के अनुपात का ध्यान नहीं करते। यही भूल अव्यवस्था को जन्म देती है। सन् सैंतालीस के बाद व्यवस्था की शक्ति का आकलन किये बिना समाज में उच्च से उच्च आदर्श मान्यताओं की घोषणा करने की मूर्खता की गई। जो व्यवस्था बलात्कार रोकने में समर्थ नहीं है उसने वैश्यावृत्ति से लेकर बार बालाओं तक के नियंत्रण का जिम्मा व्यवस्था पर डाल दिया। वैश्यावृत्ति और बार बालाओं पर नियंत्रण समाज का काम है शासन का नहीं। छुआछुत रोकना समाज का काम है शासन का नहीं। निकम्मे समाजशास्त्रियों ने सारा काम प्रशासन व्यवस्था पर डाल दिया और नासमझ या चालाक शासन व्यवस्था ने सबको स्वीकार करके समाज को अव्यवस्था के अंधकार में ढकेल दिया और अपने हाथ खड़े कर दिये। अब शासन व्यवस्था समाज को हिंसा से तो मुक्ति दिला नहीं पा रही है किन्तु छुआछुत निवारण की सफलता के लिये अपनी पीठ खुब थपथपा रही है। मैं यह महसूस करता हूँ कमजोर वर्गों के हित में कोई कानून बनाते समय ब्रष्टाचार और वर्ग विद्वेष की संभावनाओं से बचना आवश्यक है। हम प्रयत्न करें कि हमारा कोई भी कानून समान नागरिक संहिता के विपरीत न हो। सबको समान कर और समान छूट का मेरा प्रस्ताव गरीबों के पक्ष और अमीरों के अप्रत्यक्ष विरोध में है किन्तु यह कानून समाज में कोई समस्या पैदा नहीं करेगा। जो बड़े लोग होंगे उन्हें वर्ष में दस लाख रुपये का टैक्स लगेगा जिसमें से पूरे परिवार का पच्चीस हजार कम करके पौने दस लाख वह पटा देगा। एक गरीब आदमी का टैक्स वर्ष में

एक हजार रुपया होगा तो वह पचीस हजार में से एक हजार काटकर चौबीस हजार ले लेगा। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा अन्याय हो जायेगा। आप यदि समझें कि गरीबों को चार सौ अधिक मिले और अमीरों को अधिक टैक्स लगे तो वैसा विचार हो सकता है किन्तु अधिक न्यायसंगत दिखने की ललक में व्यवस्था को कमजोर करने के प्रावधानों को मैं उचित नहीं समझता।

आपने पत्र लिखकर इस वैचारिक मंथन में हिस्सा लिया इससे आपके संबंध में मेरी दस बीस वर्ष पुरानी वे यादें ताजा हो गई हैं जब आप सैकड़ों विद्वानों के साथ पहाड़ी के नीचे प्रतिदिन बारह बारह घंटे लगातार हप्तों तक बैठकर ऐसे ही विचार मंथन में सम्मिलित होते रहे हैं।

## प्रश्न 2. आचार्य पंकज, व्यवस्था परिवर्तन अभियान कार्यालय, दिल्ली।

सर्वोदय के एक वरिष्ठ विद्वान ने मेरे सपनों का भारत शीर्षक ज्ञान तत्व पर कुछ गंभीर प्रश्न उठाये हैं। आशा है कि आप उन पर गंभीर विचार मंथन करेंगे।

- (1) सर्वोदय के विषय में आपकी टिप्पणी भ्रमपूर्ण है।
- (2) सर्वोदय में कुछ लोगों ने कुछ दूसरों पर आपसे दूरी बनाने हेतु दबाव डाला ये बातें बिलकुल असत्य हैं। सर्वोदय में सबको पूरी स्वतंत्रता है। लोक सेवक मूलभूत निष्ठाओं को जब तक भंग न करे तब तक कोई दबाव डाले जाने की बात उठ ही नहीं सकती।
- (3) आप संघ के विषय में सर्वोदय की सोच पर टिप्पणी करते समय यह भूल जाते हैं कि संघ के विचारों से प्रभावित गोडसे ने दुनिया के सर्वोत्तम व्यक्तित्व रूपी गांधी का खून कर दिया। इस कृत्य को राष्ट्र की युवा पीढ़ी या सर्वोदय के लोग इतनी जल्दी कैसे भूल जायें। अब तक तो एक सदी भी नहीं बीत पाई है। ऐसी स्थिति में औसत सर्वोदयी हिन्दुत्व की विचार धारा मानने को सतर्क दृष्टि से देखे तो वह क्षम्य होना चाहिये।
- (4) यह सच है कि सर्वोदय को कभी न कभी तो यह भूलना ही होगा। किन्तु संघ को भी इस संबंध में उदार होना चाहिये।
- (5) सर्वोदय के लोगों को इस बात की पक्की जानकारी है कि संघ के कट्टरपंथी लोगों ने आपके साथ नगर में कई बार गंभीर दुर्व्यवहार किया। किन्तु कई बार आपके विचार झुके हुए लगने से सर्वोदय में भ्रम पैदा होता है।

पत्र लेखक की राय में आपको आत्म मंथन करना चाहिये।

उत्तर:- (1) मेरी टिप्पणी भ्रम पूर्ण है या नहीं इसका ठीक ठीक उत्तर तो पाठक दे सकते हैं, मैं नहीं क्योंकि मैंने जो कुछ लिखा उसका उद्देश्य भ्रम फैलाना नहीं था।

(2) मैंने जो भी लिखा वह असत्य नहीं है किन्तु यदि वह असत्य घोषित हो जाय तो मुझे बहुत खुशी होगी। सर्वोदयी लोग लोक सेवक की निष्ठाओं का पालन करें यही बड़ी अच्छी बात है। सत्य असत्य को प्रमाणित करने के प्रयत्न मुझे उचित नहीं दिखते। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ ऐसे प्रकरण सदा ही असत्य होवें।

(3) यह मुद्दा बहुत गंभीर है। व्यक्ति की तीन अवस्थाएँ होती हैं (1) आलोचना जिसमें समालोचना भी शामिल है, (2) विरोध, (3) घृणा या नफरत। गांधी जी आलोचना तो करते थे किन्तु विरोध या घृणा नहीं। गांधी जी ने भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेजों तक से घृणा नहीं की यद्यपि उनकी नीतियों की सदा आलोचना की और विरोध भी किया क्योंकि अंग्रेज न सिर्फ भारत की गुलामी का विचार रखते थे बल्कि वे क्रिया में भी गुलाम बनाकर रखे थे। मुझे दुख होता है जब गांधी की विरासत के लोग संघ के लोगों की आलोचना कम करते हैं और घृणा अधिक। मैं इसके ठीक विपरीत रहता हूँ। मैं आलोचना तो करता हूँ किन्तु विरोध नहीं करता और घृणा तो कभी करता ही नहीं। जो लोग रामानुजगंज गये हैं उन्हे मालूम है कि रामानुजगंज में जिन लोगों ने मुझसे शत्रुवत् व्यवहार किया उनसे भी मैंने न कभी घृणा की न कभी विरोध किया। यह अवश्य है कि मैंने उनके कार्यों की उस समय की आलोचना की और आज भी करता हूँ। संघ के लोगों के कट्टरवादी विचारों की मैं खुली आलोचना करता हूँ। किन्तु न मैं संघ विरोधी हूँ न ही संघ के लोगों से घृणा करता हूँ। यही कारण है कि संघ के लोगों में भी मेरे विचार उसी तरह पढ़े और समझे जाते हैं जैसी मैं

अपेक्षा करता हूँ। सर्वोदय के लोगों ने संघ कि आलोचना न करके या तो विरोध किया या धृणा। इससे समाज में संघ तो कमजोर नहीं हुआ, सर्वोदय अवश्य कमजोर हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि आज गांधी जी जीवित होते तो वे भी नफरत की भावना का कभी समर्थन नहीं करते।

आपने लिखा कि सर्वोदय का गांधी हत्या की दोषी विचारधारा के प्रवक्ताओं के अपराधों को इतने कम समय में न भूलना एक स्वभाविक प्रक्रिया है। मैं समझता हूँ कि संघ भी यही तर्क आगे रखता है। जिन लोगों ने इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित होकर पण्डित लेखराम और स्वामी श्रद्धानन्द सरीखे महापूरुषों कि हत्या कर दी उस कृत्य को आर्य समाज भूल जावे, जिन लोगों ने धार्मिक उन्माद में आकर कूछ महापूरुषों को जिन्दा दीवार में चूनवा दिया उनके कृत्य को सब लोग भूल जावे और सिर्फ गांधी हत्या को सदा सदा के लिये याद रखे यह तर्क मेरी समझ में नहीं आया। सर्वोदय गांधी हत्या के लिये संघ से आज भी नफरत करता है तो सर्वोदय और उस संघ में हम कैसे अंतर करें जो अनेक हिन्दू महापूरुषों की हत्याओं के दोषी मुसलमानों से धृणा करते हैं। साठ वर्ष पूर्व की गांधी की हत्या से हम जितने प्रभावित होते हैं, उससे कई गुना अधिक मात्रा में निर्दोष लोगों की हत्या आज इस्लामिक कट्टरपंथी कर रहे हैं किन्तु सर्वोदय मौन रहता है। वह संघ के लोगों से जितनी धृणा करता है उतनी मुसलमानों से क्यों नहीं करता। अभी पोप ने ईस्लाम के विरुद्ध टिप्पणी कर दी तो सारी दूनिया के मुसलमानों ने शक्ति प्रदर्शन किया। ईस्लाम खुलेआम मूर्ति पूजा का विरोध करे तो क्या हिन्दूओं को भी शक्ति प्रदर्शन करना चाहिये? मुसलमान मूर्ति पूजा न करे यह उसका अधिकार है किन्तु वह मुर्तिया तोड़े या अपमानित करे यह उचित नहीं। अफगानिस्तान की बुद्ध मूर्ति तोड़ने की घटना तो हाल की है। सर्वोदय मुसलमानों की चापलूसी करे और संघ को गाली दे यह एकपक्षीय प्रदर्शन पक्षपात का संदेह पैदा करता है।

मैं तो यही चाहता हूँ कि “नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूँ” अर्थात् मेरी हार्दिक इच्छा है कि संघ के लोगों के मन से इस्लाम के प्रति विरोध और धृणा के भाव कम या दूर करूँ। सर्वोदय वालों के मन से संघ वालों के प्रति विरोध और धृणा के भाव कम करूँ। इसके लिये मेरा प्रयत्न है कि स्वस्थ आलोचना और संवाद को प्रोत्साहन दूँ किन्तु धृणा और विरोध को निरुत्साहित करूँ।

आपने हिन्दूत्व की विचारधारा लिखा। मैं अब भी मानता हूँ कि हिन्दूत्व की विचारधारा इस्लाम की विचारधारा से हजारों गुना अधिक सहिष्णु और धर्म निरपेक्ष है। हिन्दूओं ने हिन्दूओं पर अत्याचार किये इस बुराई के कारण इस्लामिक विचारधारा के पाप नहीं धुल सकते। संघ और हिन्दूत्व बिल्कुल अलग अलग है। संघ हिन्दूओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यदि सर्वेक्षण करें तो आप पायेंगे कि संघ के कट्टरवाद के विरोधी हिन्दूओं में जितने प्रतिशत विद्यमान है उसका दसवाँ प्रतिशत भी मुसलमानों में मुस्लिम कट्टरवादी का विरोध नहीं। मेरा निवेदन है कि हिन्दूत्व की तुलना इस्लाम और संघ से करना उचित नहीं।

(4) मैं सहमत हूँ कि सर्वोदय को भी भूलकर आगे बढ़ना होगा और संघ को भी। इससे अलग हटकर मैं तो यह चाहता हूँ कि सब लोग इतिहास को भूलने की अपेक्षा उससे अनुभव ग्रहण करें। इस अनुभव के आधार पर संवाद स्थापित करें। एक दुसरे के गुण दोषों के आधार पर समीक्षा करके उसकी प्रशंसा और आलोचना करें। किन्तु किसी भी परिस्थिति में धृणा न करें और विरोध भी करना हो तो तब तक न करें जब तक किसी के विचार किया में न बदलते हों। यदि हम इतना कर सकें तो हो सकता है कि हम गांधी का अधुरा सपना पूरा कर सकेंगे।

(5) मुझे यह विश्वास है कि यदि ऐसे भ्रम के निर्माण में मेरी कहीं भूल होगी तो आपकी सवांद से वह भूल दूर हो जायगी और यदि दुसरों को कहीं अनावश्यक भ्रम होगा तो वह भूल दूर हो जायगा।

### प्रश्न—(3) श्री श्रुतिवन्तु दुबे विजन, सीधी, मध्यप्रदेश।

मैं ज्ञान तत्व का नियमित पाठक व आजीवन सदस्य हूँ। साथ ही प्रशंसक भी। आपके विचारों से मेरी पूर्ण सहमति है। सत्ता और व्यवस्था को अलग—अलग करते हूए समाज को सत्ता में भागीदार बनाना वक्त की अनिवार्य मांग है। अधिकारों, दायित्वों और हस्तक्षेपों के कारण राजनीति का कद बहुत लम्बा हो गया है। यह वह दरख्त बन गया है जिस पर रंग बिरंगे भ्रष्टाचारी परिन्दे अवसरवादी स्वर में अपना—अपना राग अलापते हैं। समाज को उनके स्वरों को सुनना पड़ता है जो मजबूरी है। यह वर्तमान व्यवस्था का दोष है। व्यवस्था बदलकर ही लोक स्वराज्य की ओर वापस हो

सकता है, जिसमें राजनीति के अधिकारों को कम करते हुए समाज को शक्तिशाली बनाना होगा। ऐसी स्थिति में समाज अपनी व्यवस्था स्वतः कर लेगा। सोच एवं चिन्तन महनीय है।

अभी कुछ दिन पूर्व टी० वी० चैनल पर दो घटनाएँ देखा जो समाज के द्वारा घटित हुई। पीड़ा भी हुई। इसीलिये लिख भी रहा हूँ ऐसा भी तो नहीं कि उसके पूर्व ऐसी कोई घटना मेरे नजर में न आई हों। आई होगी, किन्तु इन घटनाओं से मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज को अधिकार दिलाने की हम सब की वकालत कहीं भूल तो न बन जायेगी। इसलिये उत्तर की तलाश में हूँ।

(1) चैनल पर देखा कि एक लड़की के साथ कई व्यक्तियों ने एक रात में सामुहीक बलात्कार किया। यह दृश्य बड़ा ही वीभत्स व धिनौना है। किन्तु है तो समाज का ही। सब लोग समाज के ही सदस्य हैं। और बलात्कार तब कर रहे हैं जब इनके अधिकारों दायित्वों में कमी हैं। जिस दिन अधिकारों को बढ़ाकर इस समाज को शक्तिशाली बना दिया जायगा उस दिन क्या यह बलात्कार बन्द हो जायगा या इन्हे फांसी दे दी जायगी? तथा 27 की जगह बलात्कारीयों की संख्या 270 या 2700 हो जायगी। अधिकार बढ़ने पर क्वालिटी भले न बढ़े किन्तु क्वान्टिटी तो बढ़ ही रही है।

(2) कुछ चैनल पर देखा कि एक निरपराध निहत्था निरीह व अधिकार विहीन पंचायतकर्मी (सविव) समाज व ग्राम सभा के अपराधी प्रवृत्ति का शिकार बना। जो हर जगह आज आम सा हो गया है। यह इस लिये हुआ कि पंचायत को शासन ने पंचायत कर्मी की नियुक्ति का अधिकार दे दिया है। इस दुरुपयोग में प्रशासन तंत्र की जॉच में दोषी अराजक तत्वों को गिरफ्तार भी किया गया। ग्राम सभा दोषी नहीं थी, केवल चार अपराध प्रभुता सम्पन्न व्यक्तियों का प्रभाव इतना व्यापक था कि ग्राम सभा उनका सामना न कर सकी। मगर जिस दिन अधिकारों का दायरा बढ़ेगा, उस दिन यह निष्कासन क्या पंचायत कर्मी तक ही सीमित रहेगा? या राजनीति की तरह समाज के हाथ भी तो लम्बे न हो जाएंगे? क्या अपराधीयों का दायरा नहीं बढ़ेगा? क्योंकि वे भी तो अपने ही बीच पल रहे हैं।

मैं इसे समाज कहता जा रहा हूँ, मगर जानता हूँ कि सामाजिक को समाज कहा जाता हैं, समाज विरोधियों को नहीं। अपराध, पूँजी और राजनीति की ताकत को तो आप भी स्वीकार करते हैं। इसलिए इनके ताकत की छटनी में जुटे हुए हैं। जिस दिन समाज सर्वोसर्वा हो जाएगा, उस दिन क्या अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं होगा, समाज विरोधियों की क्या आपराधिक ताकत घट जाएगी या सदबुद्धि आ जायगी? ऐसी स्थिति में नियंत्रण का विकल्प क्या होगा? कहीं संसद वाली स्थिति ही तो समाज में न आ जाएगी कि जब तक चाहे वह ताल ठोकता रहे।

शासन पक्ष और समाज सभाओं दोनों में तो दलगत सदस्य ही प्रवेश लेंगे। राजनीति तो वहाँ भी काम करती रहेगी। सत्ता और विरोध दो दल को ही मान्यता देकर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। शेष दलों की मान्यता रद्द हो। क्षेत्रीय दलों से क्षेत्रावाद को बढ़ावा मिलता है।

अधिकार प्राप्त समाज पर आखिरी नियंत्रण तंत्र आपके चिन्तन में क्या होगा तथा दलों के विषय में आपकी सोच क्या है। पंचायती राज में पंचायतों को पंचायत कर्मी की भर्ती का अधिकार के तहत सरपंच बदल जाने पर कर्मी के बदलने का प्रयास किया जाता है (ग्राम सहायक को कोई नहीं छूता) इसे अधिकारों का दुरुपयोग कहा जाय ग्राम सभा का न्याय। क्या ग्राम सभाएँ, पंचायतें अपने कार्यों में सफल कहीं जा सकती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकार पाकर हमारे सपनों की ग्राम सभाएँ भी अधिकारों के दुरुपयोग में तल्लीन हो जाये।

उत्तर:- समाज में जब समाज विरोधी स्वच्छंद तथा समाज कायर की तरह मूकदर्शक हो जाता है उसे अराजक स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी तत्वों का मनोबल ऊँचा और समाज का गिर जाता है। ऐसे में अधिकारों का दुरुपयोग बढ़ने लगता है। सामान्यतया आम लोगों का चरित्र ठीक हो तो अधिकारों के दुरुपयोग का खतरा कम होता है किन्तु यदि सामान्य चरित्र में अपराध वृत्ति अधिक हो गई है तो अधिकारों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे अधिकार जिस अनुपात में केन्द्रित होंगे, दुरुपयोग का खतरा उसी अनुपात में अधिक होगा और अधिकार जितने विकेन्द्रित होंगे, दुरुपयोग उतना ही कम होगा। यदि पंचायत कर्मी की नियुक्ति का अधिकार पंचायत को देने से शोषण होता है तो आप यह बताइये कि यह अधिकार किसी उपर वाले को देने से दुरुपयोग कम होगा क्या? यह अधिकार जितना ही उपर जायगा उसी अनुपात में दुरुपयोग की शक्ति भी बढ़ेगी क्योंकि पंचायत के निर्णय के विरुद्ध भी उतने ही शिकायत के अवसर है, जितने उपर वालों के विरुद्ध उतने अवसर नहीं। पंचायत

अधिकार और कम करके व्यक्ति और परिवार तक देना चाहिये न कि उपर। आजकल राजनेताओं में ये फैशन चल पड़ा है कि गांव पंचायतों के भ्रष्टाचार और अधिकारों के दुरुपयोग को टी.वी पर बढ़—चढ़ कर प्रसारित करते हैं। उनका उद्देश्य पंचायतों के अधिकार कम करके विकेन्द्रित करना नहीं है बल्कि उनके अधिकार कम करके अपने पास केन्द्रित करना है। इस खतरे से सतर्क रहना चाहिये।

समाज में पांच प्रकार के कार्य अपराध माने जाते हैं। (1) चोरी, डकैती, (2) बलात्कार, (3) मिलावट, कमतौल,,(4) जालसाजी, धोखा, (5) हिंसा, आतंक, बलप्रयोग। पांच को छोड़कर काफी सभी कार्य गैर कानूनी होते हैं। पांचों प्रकार के अपराध सेकना राज्य का दायित्व है। पांच को छोड़कर अन्य सभी कार्य राज्य के स्वैच्छिक कर्तव्य होते हैं दायित्व नहीं। जब राज्य अपनी शक्ति का आकलन किये बिना स्वैच्छिक कर्तव्यों को दायित्व स्वीकारने लगता है तब अपराध नियंत्रण की पकड़ कमजोर होने लगती है और तब बलात्कार भी बढ़ने लगते हैं। राज्य यदि अपने स्वैच्छिक कर्तव्यों से किनारे हटकर ये कार्य परिवार, गाँव, जिला, प्रदेश और केन्द्र की पृथक इकाइयों में बांटकर स्वयं अपराध नियंत्रण तक के निवृत हो जावे तो यह काम आसान हो सकता है। इससे समाज तो मजबूत होगा किन्तु समाज विरोधी तत्व कमजोर हो जावेंगे। हम समाज की विभिन्न इकाइयों को अपराधों के विषय में हस्तक्षेप का कोई अधिकार देने की बात नहीं कर रहे हैं। यदि हम गाँव के स्कूल का या अस्पताल का संचालन सरकार से लेकर ग्राम सभा को दे दें तो इससे समाज तो मजबूत हो सकता है किन्तु समाज विरोधी नहीं। मेरे विचार में भारतीय व्यवस्था का सबसे काला दिन वह माना जाना चाहिये जिस दिन हमने जनकल्याणकारी राज्य की अवधारणा घोषित की। राज्य का दायित्व तो सुरक्षा और न्याय होता है। सुरक्षा और न्याय की अपेक्षा जन कल्याण के अन्य कार्यों को महत्वपूर्ण मानकर हमने विदेशों की जो नकल की वही हमारे गले की हड्डी बन गई। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि समाज को मजबूत बनाने का हमारा उद्देश्य पूरी तरह अपराध नियंत्रित है न कि समाज विरोधियों का मजबूत होना। समाज का मनोबल बढ़ेगा तो समाज विरोधियों का घटेगा यह निश्चित है।

राजनैतिक शक्ति, संपत्ति और अपराध एक दूसरे के पूरक हो गये हैं अब तो इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। समाज के अनेक लोग पिछले कई वर्षों से अपराध नियंत्रण द्वारा इस त्रिगुट को कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। जबकि कुछ अन्य लोग संपत्ति की मारक शक्ति को कम करने हेतु प्रयत्नशील हैं। न अपराध घट रहे हैं न शक्ति क्योंकि इन दोनों का केन्द्र राजनैतिक शक्ति है। कई लोग राजनीति से अपराधियों को बाहर करने की परिणाम विहीन कसरत करते रहते हैं। सच्चाई यह है कि राजनीति की मारक शक्ति को कम करके ही धन और अपराधों का जाल टूट सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है।

रावण की नाभि पर आक्रमण किये बिना पूरे शरीर पर आक्रमण का परिणाम नहीं निकल सकता है। इसलिये हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि राजनैतिक शक्ति को विकेन्द्रित करके परिवार गाँव जिले में बांट दी जावे और राज्य के पास उसकी शक्ति का आकलन करके सुरक्षा और न्याय जैसे महत्व के दायित्व छोड़ दिया जावे।

#### 1 / 4 / 120 घ प्रश्न—(4) श्री जयगोपाल अग्रवाल, रायपुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।

आपकी पत्रिका ज्ञान तत्त्व नियमित कई वर्षों से प्राप्त हो रही है, साथ ही उसका अध्ययन—मनन भी किया जाता है।

आज वास्तव में वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है, किन्तु कितनी ही अच्छी व्यवस्था बनाई जावें उसमें बिना संस्कार वानों के दुरुपयोग की पूर्ण संभावना है।

आपके द्वारा व्यवस्था परिवर्तन का जो चित्र दिया गया है, वह काफी सारगर्भित, उत्तम है, किन्तु व्यवस्था में अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा यह कैसे संभव है।

मेरे विचार से व्यक्ति के ऊपर कितना भी बाहरी नियंत्रण स्थापित किया जावे, जब तक कि वह आंतरिक रूप से संस्कारित नहीं होगा उसके द्वारा पद एवं सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकेगा। क्योंकि व्यक्ति में जब तक जन्म जात संस्कार नहीं होंगे तब तक उसे बाहरी नियंत्रणों द्वारा कुछ समय तक नियंत्रित तो किया जा सकता है, किन्तु इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें।

आपके द्वारा पत्रिका में दिये गये लेख काफी उपयोगी एवं वर्तमान समस्याओं का अच्छा समाधान है।

### पत्रोत्तर एवं मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में।

उत्तरः— कार्य दो प्रकार के होते हैं (1) वे जो स्वयं को या उसके परिवार को नुकसान करते हैं दूसरों का नहीं। (2) जो दूसरों का नुकसान करता है स्वयं का या परिवार का नहीं। समाज, धर्मगुरु या अन्य सुधारकों का कर्तव्य है कि वे पहले प्रकार के मामलों में संस्कार निर्माण का काम करें। पहले प्रकार के कार्यों पर नियंत्रण राज्य का काम नहीं है। दूसरे प्रकार के अपराध संस्कार निर्माण के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते। ऐसे कार्यों की रोकथाम तो कानून से करनी ही होगी। भारत में एक विचित्र हवा चल पड़ी है कि जो काम संस्कार बदलने के हैं उनके लिये तो शासकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता बताई जाती है और जो काम अपराध के हैं उनके लिये हदय परिवर्तन की बात होती है। पूरे भारत में बड़ी संख्या ऐसे नासमझों की है जो डाकुओं का तो हदय परिवर्तन की वकालत करते हैं किन्तु गुटखा खाने को कानून से रोकना चाहते हैं। ऐसे नासमझी भरे प्रचार से बहुत नुकसान हो रहा है। जब तक व्यक्ति संस्कारित नहीं होगा तब तक पद का दुरुपयोग होगा ही। इसलिये जब तक व्यक्ति संस्कारित नहीं हो जाता तब तक अधिकार विकेन्द्रित कर दिये जावें यहीं तो हमारी मांग हैं। पहले संस्कार सुधरें तब उन्हें अधिकार दिये जायें न कि पहले उन्हें अधिकार सौंपकर तब संस्कार की प्रतीक्षा की जावें। बाहरी नियंत्रणों से कुछ ठीक नहीं होगा यह बात उन्हें समझनी चाहिये जा गुटखा रोकने की सरकार से मांग करते हैं।

एक बात और विचारने की है पहले संस्कार सुधरेगा तब व्यवस्था सुधरेगी या पहले व्यवस्था सुधरेगी तब संस्कार ठीक होगा? वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से एक ठीक हो तो वह दूसरे पर प्रभाव डाल सकता है किन्तु जब व्यक्ति के संस्कार भी दूषित हों और व्यवस्था भी दूषित हो तब कौन किसको ठीक करेगा और कैसे ठीक करेगा। ऐसी विषम स्थिति में समाज व्यवस्था में राजनैतिक व्यवस्था का हस्तक्षेप न्यूनतम कर देना चाहिये। अपने आप समाज का संस्कार ठीक होगा और तब व्यवस्था ठीक होगी। हमारा प्रयत्न है कि शासन के अधिकारों, दायित्व तथा हस्तक्षेप न्यूनतम कर दिये जावें। मुझे उम्मीद है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप कम होने का अच्छा प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

### (6) श्री शशांक मिश्र 'भारती', शिक्षक, रा.इ.का. दुबोला— रामेश्वर, पिथौरागढ़, (उत्तराँचल)

ज्ञान तत्त्व 117 में महंगाई पर आपके विचार पढ़े। बात स्पष्ट है कि मूल्यों के साथ—साथ ग्राहकों की क्रयशक्ति भी बढ़ी है। कल का पॉच रूपये वाला श्रमिक आज अस्सी— नब्बे रूपये सोलह गुने ले रहा है जबकि गेहूँ— चावल, डीजल, धी, तेल के दाम छः गुने ही बढ़े हैं। यहीं स्थिति वेतनमानों की भी है। समाज की अधिकांश समस्याओं के लिए सरकार में बैठे लोग व उधार की संवैधानिक व्यवस्था है। न कि आम आदमी या व्यापारी।

आज का सबसे विचारणीय प्रश्न है कि पथ निरपेक्ष बना दिये गये भारत में ऐसे लोगों पर चिन्तन हो जो राष्ट्र से बड़ा धर्म को मानते हैं। धर्म की व्याख्याओं की आड़ राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्र वन्दना, राष्ट्रगीत को पीछे धकेल देते हैं। शायद यह ढोंगी, स्वार्थी, पदलोलुप राजनेताओं द्वारा वोट की राजनीति का परिणाम तो नहीं है। कृपया और स्पष्ट करें। हार्दिक शुभकामनायें।

## 13 / 1 / 120 च उत्तरार्ध “व्यवस्था परिवर्तन अभियान यात्रा” अन्ध मुकुर अरु नयन विहीना

आचार्य पंकज

सन्त कवि तुलसीदास ने प्रबल भक्ति के वशीभूत लिखा होगा “अन्ध मुकुर अरु नयन विहीना। रामरूप देखहिं किमी दीना।।” किन्तु आज हमारे शासकों और शासितों के आपसी रिश्ते भी इससे परिभाषित होते हैं। यदि हदयरूप दर्पण अंधा हो और देखने वाला चक्षुहीन है तो दर्पण में न छवि बनेगी और अंधी ऊँखों से उसे कैसे देखा जा सकेगा? ठीक आज देश सभी राजनैतिक दलों की स्थिति हदयरूपी दर्पण के अन्धत्व की है।

उस हृदय में संवेदनायें, भावनायें लगभग मर चुकी है और दृष्टि अर्थात् विवेक का दूर दूर तक रिश्ता बनता नहीं। ऐसे में जनता के दुःखों का, उसकी पीड़ा का, वेदना का, जीवनोपयोगी आवश्यकता का ज्ञान उन्हें किस प्रकार हो सकता है? वे धृतराष्ट्र की तरह स्वार्थ के वशीभूत पीढ़ी दर पीढ़ी के लिये अकूल धनराशि संग्रह, शक्ति और बल संग्रह में लिप्त हैं। जनता दिखाई देती है, वोट के रूप में, जिसे धन-बल,, बाहुबल से खरीदा और जीता जा सकता है। ऐसे में “व्यवस्था परिवर्तन अभियान” से ही यह उम्मीद की जा सकती है कि वह इस जनता को अपने बीच स्थान दे, उसको एक नये किस्म के जनान्दोलन से जौड़े।

गतवर्ष दिनांक दो, तीन, चार सितम्बर 2005 को दिल्ली में हुये व्यवस्था परिवर्तन अभियान राष्ट्रीय सम्मेलन में व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिये पहले कदम के तौर पर संविधान में चार सूत्री संशोधन निर्णय को सर्वथा उचित और आवश्यक माना गया। संविधान में संशोधन की मांग क्रमवार इस प्रकार है—निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार हो। संविधान सूची में जिला और गांव को शामिल किया जाय। नीति निर्देशक तत्वों को बाध्यकारी बनाया जाय। किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय संघि या समझौते की संसद से पुष्टि कराना आवश्यक हो। उक्त राष्ट्रीय सम्मेलन में कई सामाजिक संगठन शामिल हुये थे। सम्मेलन ने प्रसिद्ध समाजशास्त्री विचारक एवं लेखक श्री बजरंगलाल अग्रवाल जी को अपना राष्ट्रीय संयोजक सर्वसम्मति से निर्वाचित किया।

चार सूत्री संविधान— संशोधन के लिये संकल्प पत्र पर व्यवस्था परिवर्तन अभियान ने देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान आरंभ किया, आज भी हस्ताक्षर अभियान जारी है। संकल्प पत्र घोषित करता है कि यदि राजनैतिक दलों ने संशोधन कर लिया तो शुभ है, अन्यथा देशभर में व्यापक आन्दोलन किया जायेगा।

गान्धी जी का सत्याग्रह, लोहिया का आन्दोलन, जयप्रकाश नारायण जी का अदम्य साहस, तथा मध्य युगीन सन्तों की तन्मयता से भरपूर श्री बजरंगलाल अग्रवाल जी ने 1 अगस्त 2006 ई. से व्यवस्था परिवर्तन अभियान यात्रा आरंभ की है। यह अभियान यात्रा दो महीने की है, लगभग देशव्यापी है।

इस यात्रा का विधिवत् शुभारम्भ लोकमान्य तिलक जी की कर्मस्थली पुणे महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। सभा में उपस्थित युवकों ने अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद जी के शताब्दी वर्ष में प्रतिज्ञापूर्वक अपने—अपने हॉथ फैलाकर व्यवस्था परिवर्तन अभियान के लिये संकल्प घोषित किया। यहाँ से यात्रा सोलापुर (महाराष्ट्र) के लिये आगे बढ़ चली।

सोलापुर में बैठक, पत्रकार वार्ता के पश्चात, हुबली कर्णाटक के लिये प्रस्थान। हुबली—धारवाड़ में यात्रा अत्यन्त व्यस्त कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।

3 अगस्त को विशिष्ट व्यक्तियों से भेट, पत्रकार वार्ता, धारवाड़ में सभा प्रश्नोत्तर आदि। चार अगस्त को महावीर महाविद्यालय हुबली के छात्र—छात्राओं, अध्यापकों तथा कर्मचारियों के बीच श्री बजरंगलाल अग्रवाल जी का धारा प्रवाह आंग्लभाषा में चमत्कारिक भाषण हुआ। यहाँ का समर्थन और सहयोग काफी मनोबल बढ़ाने वाला रहा। कन्नड समाचार पत्र डकल हैराल्ड, तथा इण्डियन एक्सप्रेस अंग्रेजी अखबारों ने बड़ी प्रमुखता के साथ मुख्य घष्ट पर चित्र सहित समाचार प्रकाशित किये। दूरदर्शन ने भी प्रसारित किया। यहाँ यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ।

हुबली से यात्रा बंगलोर पहुँची। यहाँ पर विभिन्न जनान्दोलनों से जुड़े युवकों के साथ कई बैठकें हुयी। व्यवस्था परिवर्तन अभियान यात्रा को महत्वपूर्ण योगदान का विश्वास मिला। यहाँ से यात्रा कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) के लिये आगे चल दी।

11 अगस्त को कोलकत्ता में बैठक हुयी, भाषण तत्पश्चात प्रश्नोत्तर हुआ। 12 अगस्त को धनबाद (झारखण्ड) प्रेस क्लब में 10.30 बजे सभा प्रारंभ हुयी। सभा काफी प्रभावी थी। सभा में जयप्रकाश जी के सम्पूर्ण—क्रांन्ति आनंदोलन से जुड़े काफी लोग शामिल थे। प्रश्नोत्तर भी खूब चला। सायकाल को गोविन्दपुर में सभा अच्छी हुयी।

धनवाद से चलकर यात्रा बेगुरसाय (विहार) के तेतरी गाँव पहुँची। 13 अगस्त को तेतरी गाँव के ग्रामीणों के बीच हायर सेकेण्डरी स्कूल के सभागार में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सभा हुयी। यहाँ से यात्रा राजगीर नालन्दा के लिये आगे बढ़ी। राजगीर की सभा काफी उत्साहवर्धक रही, यहाँ युवकों की संख्या काफी थी। व्यवस्था परिवर्तन अभियान यात्रा की बड़ी उपलब्धि कहने में संकोच करना बेमानी होगी। भविष्य में यह आन्दोलन का शक्तिशाली केन्द्र होगा। यात्रा यहाँ से गोपालगंज (विहार) की ओर अग्रसर हुयी।

15 अगस्त का दिन था, स्थानीय महाविद्यालय 11 बजे दिन सभा हुई। यहाँ की सभा आंशिक थी। 12 बजे यात्रा देवरिया (उत्तर प्रदेश) के लिये गतिशील हुई।

15 अगस्त देवरिया की सभा सांय 4 बजे से शहर के इंटर अग्रसेन कालेज में आयोजित हुयी। यात्रा क्रम में यहाँ की सभा अपने चरमोत्कर्ष पर रही। सभा में शहर के सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। भव्य स्वागत विशाल प्रांगण श्रोताओं से भरा पड़ा था। यहाँ के सयोंजक श्री चंद्रिका चौरसिया जी सचमुच धन्यवाद के पात्र हैं। सभा लगभग तीन घंटे तक चली। प्रश्नोत्तर भी हुआ।

व्यवस्था परिवर्तन अभियान यात्रा को चार हजार रुपये भी यहाँ प्राप्त हुये। 16 अगस्त को यात्रा कूशीनगर (उत्तर प्रदेश) पहुँची। यहाँ युवा लोग शामिल हुये एक होटल में बैठक के पश्चात् यात्रा गोरखपुर की ओर चली, गोरखपुर बार एसोसियेशन के सभागार में सभा हुयी, चूंकि यह दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का था, एतदर्थ कच्छरी में अवकाश था, श्रोताओं की संख्या क्रम रही फिर भी प्रश्नोत्तर के कारण सभा लम्बी चली। उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में यात्रा का उत्सव धर्मिता के साथ भव्य स्वागत हुआ। 19 अगस्त को बरेली के भाजपा सांसद श्री संतोष गंगावार जी की अध्यक्षताओं आई.एम.ए. के वातानुकूलित सभागार में भव्य सभा हुयी। श्री बजरंगलाल जी का गम्भीर चिन्तन भाषण हुआ, प्रश्नोत्तर भी हुआ। व्यवहार कुशल श्री सन्तोष गंगावार जी स्तब्ध होकर सुनते रहे, अपने भाषण में कहा कि मुख्य वक्ता ने हमारे ज्ञान में बढ़ोत्तरी की है, तमाम विषयों को हम तो जानते भी नहीं थे। साइकिल पर इतना टैक्स लगता है, इसकी जानकारी सचमुच मूँझे नहीं थी। 20 अगस्त को यात्रा देहरादून (उत्तरांचल) पहुँची। यहा आचार्य कुल का राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी आमंत्रित रहे।

23 अगस्त को यात्रा शिमला (हिमाचल प्रदेश) पहुँची। शिमला में काली बाड़ी के सभागार में सभा हुयी। शिमला से चलकर विलासपूर जनपद के चॉदपूर गाँव में ग्रामिणों के बीच में बैठक। यहाँ के किसानों ने अपनी विपत्ति को दूँख स्वर में सुनाया, खेतों में मक्के के पौधे खड़े हैं। बाल, बन्दर खा जाते हैं हम लोगों की सारी कमाई चौपट एक दाना घर में नहीं आता, हनूमान जी के वंशज हैं। हमारा परिवार भूखे मर जाय हम बन्दरों को मार नहीं सकते। सरकार का ध्यान इधर नहीं जाता। दूसरी समस्या गायें हैं वे गाये जो दुंध देने लायक नहीं रह गयी हैं। उन्हे लोग छोड़ देते हैं वे भी हमारी फसलों को पूरा साफ कर देती हैं। हम लोग उसे मार नहीं सकते। भले ही हमारे बच्चे भूखे मर जायें। क्योंकि गऊ को हम माता कहते हैं। रात्रि में जंगली सूअरों का बड़ा आतंक है वे फसल खा जाते हैं। तथा पेंड़ों को तहस—नहस करते हैं, भगाने जाईये तो हमला करके जख्मी कर देते हैं। सचमुच में किसानों की यह ज्वलन्त समस्या प्रत्यक्ष देखी गयी मन द्रवित हो उठा। यहाँ से यात्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के टम्बर गाँव (जयसिंहपुर) पहुँची। यहाँ की सारी व्यवस्था दिल्ली के साथी श्री सूनील एकका जी ने की थी। 24 अगस्त को यहाँ ग्रामीणों की सभा हुयी। सभा में प्रश्नोत्तर भी हुये। यहाँ के यूवकों को व्यवस्था परिवर्तन अभियान में सक्रिय योगदान का स्वतः स्फूर्त का भाव काफी प्रबल दिखाई दिया। पूरे गाँव में यात्रा का प्रसिद्ध नारा स्टीकर “सब सूधरेगा तीन सुधारे, नेता, कर, कानून हमारे” लगाया गया, इसके पोस्टर भी दूर दूर तक लगें मिले। यहाँ भी किसानों की वही समस्या जो उपर वर्णित है।

26 अगस्त को यात्रा संगरूर (पंजाब) के शेरपुर कस्बे में पहुँची। अग्रवाल धर्मशाला में रात्रि 8 बजे से हुयी। सभा में पुरुष—महिलायें समान रूप से उपस्थित रहे। प्रश्नोत्तर काफी देर तक चला। यहाँ यात्रा आचार्य तुलसी जैनमूनि धर्मशाला में रुकी। डॉ. संजय विश्वकर्मा जी ने यहाँ के कार्यक्रम का सफलता पूर्वक सूचालन किया।

27 अगस्त को पंचकूला (हरियाणा) सेक्टर 11 में 11 बजे दिन बैठक हुई। बैठक में शहरी लोग थे प्रश्नोत्तर हुआ, तत्पश्चात् कुरुक्षेत्र की ओर यात्रा चल पड़ी। 4 बजे सायं गुर्जर धर्मशाला कुरुक्षेत्र में अच्छी सभा हुई। 28 अगस्त को प्रातः पानीपत पहुँचकर यात्रा आगे सोनीपत की ओर बढ़ गयी, पानीपत में अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम स्थगित हो गया। सोनीपत में 4 बजे से सभा हुयी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत की सभा अच्छी रही।

29 अगस्त को उत्तर प्रदेश के बड़ौत और बागपत में चौमहापीर सिंह जी (अवकाश प्राप्त डिप्टी एस.पी) के संयोजकत्व में बड़ी सफल सभाएं आयोजित हुयी।

30 अगस्त को नोएडा उ0 प्र0 के कब्जको सभागार में यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। श्री घनश्याम जी गर्ग, श्री ओमप्रकाश दूबे जी, श्री सुनील एकका जी ने सक्रिय योगदान दिया। नोएडा की यह सभा कई दृष्टियों से विशेष उल्लेखनीय रही। 31, अगस्त को दिल्ली से अभियान यात्रा राजस्थान जयपूर की ओर बढ़ने की तैयारी में। शकरपुर दिल्ली केन्द्रीय कार्यालय से गन्तव्य की ओर यात्रा के साथ चलने के लिये वाहन—यात्रा के समक्ष ऐसे दिव्य व्यक्तित्व का उदय हुआ जिसकी यात्रा को स्वप्न में भी ऐसे हर्षतिरेक की कल्पना नहीं थी। वह दिव्यातिदिव्य व्यक्तित्व के धनी मैंवाड़—गौरव श्री युत अशोक गाड़िया जी के संयोजकत्व में रोटरी क्लब सभागार में श्रीबजरंग लालजी का चिन्तन भाषण हुआ नयी सोच नयी दिशा का प्रकाश सहज प्राप्त हुआ, प्रश्नोत्तर भी हुआ।

1 सितम्बर को यात्रा भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) की ओर प्रबल संभावनोंओ के साथ अपने कदावर आयोजक श्रीयुत अशोक गाड़िया जी के साथ गतिशील हूयी भीलवाड़ा में चेम्बर आफ कामर्स के सभागार में बड़ी अच्छी सभा आयोजित हुयी। श्री गाड़िया जी ने सभा में व्यापक रूप से श्री बजरंग मूनादी की तरह देशभर में एक प्रकार का सधा हुआ भाषण देकर आन्दोलन की जमीन पकाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से यात्रा चित्तौड़गढ़ की ओर चली।

रात्रि में यात्रा चित्तौड़गढ़ के बालिका प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान मैंवाड़ के सभागार में सभा में पहुँची। संस्थान के स्वामी श्री अशोक गाड़िया जी ने श्री बजरंग जी का विधिवत् परिचय कराया तत्पश्चात् मुख्यवक्ता का उद्बोधन हुआ। प्रश्नोत्तर का भी क्रम चला। सभा में श्री गाड़िया के बन्धुगण अध्यापक अधिकारी कर्मचारी तथा छात्राओं समेत शहर के काफी गण्यमान लोग उपस्थित रहे।

2 सितम्बर को यात्रा उदयपूर के लिये चली यात्रा को श्रीयुत अशोक गाड़िया जी का सफल मार्ग दर्शन सहज प्राप्त होने से यात्रा काफी बलवर्ती होती जा रही है वे यात्रा में अभियान यात्री बनकर चल रहे हैं। उदयपुर में यात्रा “सहेली पैलेस होटल” में रुकी। सांय 7 बजे उसी होटल के सभागार में सभा का उत्साहवर्धक आयोजन हुआ। मुख्यवक्ता ने अपनी सधा हुआ व्याख्यान दिया। यहाँ भी श्री गाड़िया जी ने श्री बजरंग मुनि जी का परिचय दिया। प्रश्नोत्तर भी हुआ। सभा में लगभग डेढ़ सौ (150) पुरुष महिलायें उपस्थित रहे। सभा के पश्चात आयोजक श्रीयुत प्रमोद छपरवाल जी ने सभी को भोजन पर आंमत्रित किया। उदयपुर का कार्यक्रम काफी खर्चीला रहा। इस मनोत्साही भव्य आयोजन के मेरुदण्ड रहे श्रीयुत अशोक गाड़िया जी।

3 सितम्बर को उदयपुर से बाँसवाड़ा (राजस्थान) रतलाम (म.प्र.) होते हुये उज्जैन पहुँचकर यात्रा अभियान के परिक्षेत्र संयोजक श्री रामकृष्ण पौराणिक जी के घर में रात्रि—विश्राम। प्रातः काल 4 सितम्बर को इन्दौर के लिये प्रस्थान। सायंकाल 5 बजे कस्तूरबा ग्राम में बहनों—भाइयों की सभा में व्यवस्था परिवर्तन अभियान की एक अच्छी सभा, प्रश्नोत्तर गान्धी दर्शन संग्रहालय में भ्रमण।

5 सितम्बर को इन्दौर के पत्रकार बन्धुओं से वार्ता। 10 बजे दिन बिनोवा जी के विसर्जन आश्रम में एक बैठक, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा सर्वोदय के लोग शामिल रहे। सायंकाल 5.30 बजे उक्त आश्रम में सभा हुयी जिसमें समाजवादी, जे.पी आन्दोलन से जुड़े लोग, संघ तथा सर्वोदयी काफी संख्या में उपस्थित रहे। यहाँ के आयोजक श्री कमलेश पालीवाल जी रहे, जो स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता हैं।

6 सितम्बर को यात्रा उज्जैन पहुँची, यहाँ परिक्षेत्र संयोजक श्री रामकृष्ण पौराणिक जी का निर्धारित कार्यक्रम सामाजिक शोध संस्थान के सभागार में 5.30 बजे सायं से प्रारंभ हुआ। सभा में उज्जैन के विद्वत्‌जन काफी संख्या में उपस्थित रहे।

7 सितम्बर को यात्रा भोपाल (म0प्र0) पहुँची। टी.टी. नगर के शिव शक्ति मंदिर में एक छोटी बैठक हुयी, अर्थात् यहाँ की बैठक पूर्णरूपेण असफल रही। यहाँ से यात्रा सागर (म0प्र0) पहुँची रात्रि धर्मशाला में विश्राम। प्रातः वीना (म0प्र0) के लिये प्रस्थान, सर्वोदय भवन वीना में बैठक, अच्छी पत्रकार वार्ता तत्पश्चात् सागर के लिये यात्रा की वापसी। सायं 7 बजे सागर में एक नगण्य बैठक। रात्रि में 8 बजे यात्रा लम्ही दूरी के लिये निकल पड़ी। यात्रा 9 सितम्बर को अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) पहुँची। सायंकाल थकी यात्रा 5 बजे पहुँची।

10 सितम्बर को तीन बजे अम्बिकापुर के श्रीराम मंदिर सभागार में भव्य स्वागत के साथ एक बहुत ही अच्छी सभा यहाँ के भाजपा सांसद श्री नन्दकुमार साय जी की अध्यक्षता में हुयी। यह जिला श्री बजरंगजी का गृह जनपद है, एतदर्थ काफी पुराने साथी भी दूर से श्री बजरंगजी को सुनने पधारे थे। सभा काफी देर तक चली। यहाँ पर श्री बजरंग जी नब्बे मिनट तक बोले। व्यवस्था परिवर्तन अभियान की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।

13, सितम्बर को वाराणसी (उ0प्र0) पराड़कर भवन में पत्रकार वार्ता 12 बजे दिन में सम्पन्न हुयी। 14 सितम्बर को दिन में 11 बजे से संस्कृत विश्व विद्यालय के वागदेवी मंदिर के कण्ठा भरण (सभागार) में छात्र-युवाओं की सभा श्री अरुण कुमार (सर्व सेवा संघ) की अध्यक्षता में हुयी। सभा से पूर्व श्री बजरंगलाल जी यहाँ के पूर्व संस्कृत छात्र अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सभा में छात्रसंघ के पदाधिकारियों समेत, श्री राधेश्याम सिंह (समाजवादी पार्टी), श्री राजनाथ पाण्डेय (कांग्रेस पार्टी), काशी व्यापार प्रतिनिधि मंडल के संरक्षक श्री अरुण कुमार केशरी, पत्रकार श्री योगेन्द्र नारायण शर्मा, जयपुर से पधारे श्री सुधेन्दु पटेल, परिक्षेत्र संयोजक श्री अशोक कुमार त्रिपाठी विश्वविद्यालय कार्य-परिषद् के सदस्य डॉ. रविशंकर दुबे, सरदार सतनाम सिंह तथा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री ब्रह्मानन्द उपाध्याय आदि उपस्थित रहे।

बनारस बार एसोशियेशन (कचहरी) में एक विशाल सभा बार के अध्यक्ष श्री राधेश्याम सिंह एडवोकेट (डायनामाइट केस) की अध्यक्षता में हुयी। वकीलों की इस बड़ी सभा में श्री बजरंगलाल जी पूरी सभा में छा गये थे। अद्भुत नजारा था। वरिष्ठ एडवोकेट श्री सागर सिंह ने कई प्रश्न किये जिसका समुचित समाधान करते हुये मुख्य वक्ता ने संविधान और कानून के अन्तर को बड़ी सूक्ष्मता से समझाया। कई वकीलों ने खूब सवाल दागे, सबका बड़े संयत तरीके से एक दम सही जवाब देकर श्री बजरंगजी ने व्यवस्था परिवर्तन अभियान की वाराणसी में एक मजबूत आधार शिला रखने में पूर्णतया कामयाब रहे। सभा का संचालन युवा एडवोकेट श्री अनुपमलाल श्रीवास्तव (कांग्रेस) ने किया। सभा में आल इण्डिया वार एसोसियेशन के वरिष्ठ सदस्य श्री अरुण कुमार त्रिपाठी भी प्रश्नकर्ताओं में रहे, जिन्हें उत्तर से काफी संतुष्टि मिली। बजरंग मुनि जी की यह सभा वाराणसी में काफी दिनों तक चर्चा में रहेगी।

15 सितम्बर को यात्रा गाजीपुर पहुँची इस यात्रा में अभियान यात्रा के परिक्षेत्र संयोजक श्री ओम प्रकाश राय साथ-साथ चल रहे थे। गाजीपुर शहर से निकलकर यात्रा लद्दूडीह गाँव में रुकी यहाँ पर स्वल्पाहार हुआ। श्री बजरंगजी ने यहाँ गाँव के युवकों तथा वरिष्ठजनों की एक अच्छी बैठक को सम्बोधित किया। यहाँ से यात्रा बलिया की ओर चली। सिकन्दरपुर बलिया श्री गान्धी इण्टर कालेज के सभागार में सभा आयोजित हुयी। सभा में प्रश्नोत्तर भी हुआ। यात्रा रात्रि में भी ओमप्रकाश राय के घर पर रुकी।

16 सितम्बर को यात्रा जौनपुर पहुँची। जौनपुर के बक्शा ब्लाक के पूर्व प्रमुख प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता परिक्षेत्र संयोजक श्रीपति उपाध्याय जी के गाँव सुजिया मऊँ के काली मन्दिर में एक अच्छी सभा आयोजित हुयी। इस सभा की बड़ी विशेषता यह रही कि ग्रामीण अंचल के सभी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। सभा ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। यह सभा काफी उत्साह वर्धक रही। यात्रा ने रात्रि में सुजियामऊँ गाँव में श्री श्रीपति उपाध्याय जी के घर विश्राम किया। श्री बजरंग मुनि जी को ग्रामीणों ने खूब पंसद किया।

18 सितम्बर को लखनऊ दारूलसफा के बी ब्लाक के कामन हाल में सभा आयोजित हुयी। सभा को परिषेत्र संयोजक श्री पद्भनाभ त्रिपाठी जी ने आयोजित किया था। श्री बजरंग मुनि जी सभा को एक घंटे तक संबोधित किया। सभा में पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आये प्रतिनिधि शामिल रहे।

यात्रा अभी इसी प्रकार से विभिन्न प्रदेशों में गतिशील है। आगामी दो अक्टूबर को गान्धी समाधि राजघाट, नयी दिल्ली में इसका समापन होगा, तथा तीन अक्टूबर को देश से आये प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक दिनभर चलेगी। जिसमें व्यवस्था परिवर्तन अभियान के भावी कार्यक्रम निर्धारित होंगे। इस यात्रा से देश भर में एक संवैधानिक अहिंसक जनान्दोलन का बीजारोपण हो रहा है।

आचार्य पंकज (21/09/2006)ई.

राष्ट्रीय सह-संयोजक, व्यवस्था परिवर्तन अभियान।